राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांक एफ–4/मु./याता/(लेखा–25)/2020/753 दिनांकः– 02-07-2020

कार्यालय–आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा/2012/1866 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा बुकिंग एजेन्ट नियुक्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये । बुकिंग एजेन्ट योजना की समीक्षा उपरान्त इस योजना में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

1. बुकिंग एजेन्ट योजना के बिन्दु सं. 15(य)–बुकिंग एजेन्ट द्वारा प्रतिमाह 2 लाख रू. या इससे अधिक राशि के टिकिट विक्रय किए जाने पर राशि रू. 2 लाख रू. से अधिक राशि पर 2 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि निगम द्वारा दी जा रही है के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

क्र. स.	विवरण	देय प्रोत्साहन राशि
1.	राशि रू. 2 लाख से 5 लाख रू. तक मासिक टिकिट बिक्री पर	2 प्रतिशत
2.	राशि रू. 5 लाख से अधिक किन्तु रू.6 लाख तक मासिक टिकिट बिक्री पर	2.25 प्रतिशत
3.	राशि रू. 6 लाख से अधिक किन्तु रू. 7 लाख तक मासिक टिकिट बिक्री पर	2.50 प्रतिशत
4.	राशि रू. 7 लाख से अधिक किन्तु रू. 8 लाख तक मासिक टिकिट बिक्री पर	2.75 प्रतिशत
5	राशि रू. 8 लाख से अधिक मासिक टिकिट बिक्री पर	3 प्रतिशत

बुकिंग एजेन्टों को टिकिटों की मासिक बिक्री पर नियमानुसार अधिकतम 5 प्रतिशत कमीशन दर को यथावत रखा जाता है।

2 केन्द्रीय बस स्टेण्ड जयपुर पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर बुकिंग एजेन्टों की नियुक्ति की जा सकेगी । राज्य स्तरीय समिति में निम्नानुसार अधिकारी होगे :–

i. कार्यकारी निदेशक (यातायात)

ii. महा प्रबन्धक (वित्त)

iii. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी)– सदस्य सचिव,

केन्द्रीय बस स्टेण्ड जयपुर पर अधिक राजस्व संग्रहण को दृष्टिगत रखते हुए इनको देय कमीशन की दरे निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(अ) रू. 5.00 लाख तक मासिक टिकिट बिक्री पर – 2 प्रतिशत

(ब).रू. 5 लाख मासिक टिकिट बिक्री से अधिक राशि पर –2.50 प्रतिशत

केन्द्रीय बस स्टेण्ड जयपुर पर नियुक्त बुकिंग एजेन्ट को पृथक से प्रोत्साहन राशि देय नही होगी ।

3 मुख्यालय के आदेश क्रमांक 389 दिनांक 03.10.2019 के अन्तर्गत रू. 5 लाख मासिक से अधिक के प्रकरण मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। रु 5 लाख मासिक राजस्व (टिकिट बिक्री) से अधिक हेतु भी बुकिंग एजेन्ट नियुक्त किए जा सकते है । इस हेतु मुख्यालय की अनुमति अपेक्षित नही है ।

4. छुट वाली टिकिटों पर कमीशन/प्रोत्साहन राशि छूट उपरान्त राशि (मूल किराया राशि) पर नियमानुसार देय होगी परन्तु किसी भी यात्री को नियमानुसार टिकिट देने से इन्कार करने पर बुकिंग ऐजेन्सी निरस्त कर दी जावेगी।

5. बुकिंग एजेन्ट का चयन आर.टी.पी.पी एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी नियम 2013 के अन्तर्गत किया जावें।

6. बुकिंग एजेन्टों द्वारा Current Booking के साथ–साथ अग्रिम आरक्षण भी नियमानुसार किया जा सकेगा ।

7. उक्त दरें जी.एस.टी सहित है।

उक्त आदेश दिनांक 1.7..2020 से प्रभावी किया जाता है ।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

क्रमांकः– एफ4/मु0/याता./लेखा(25)/2020/753 दिनांकः 02-07-2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज. परि. निगम, मुख्यालय–जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राज. परि. निगम, मुख्यालय–जयपुर।
3. महा प्रबंधक/संयुक्त महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक ( ) रा.प.नि.मु.जयपुर ।
4. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, ——————————
8. उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी) रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही की जावें ।
9. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश निगम वेबसाइट पर उपलब्ध करावें एवं उक्तानुसार कार्यवाही की जावें।
8. सचिव, रा.प.नि.मु.जयपुर ।
9 . कार्यकारी प्रबंधक (जन–सम्पर्क) रापनि, मु.–जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त का प्रचार–प्रसार करावें।
10. कार्यकारी प्रबंधक ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय–जयपुर।
11. मुख्य प्रबंधक, राज. परि. निगम, ———————— आगार
12. प्रबंधक (यातायात/वित्त/संचालन) राजस्थान परिवहन निगम, ——————

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Scanned with CamScanner